यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/102/2017 **दिनांक :** 16.11.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ विचार–विमर्श

11वें द्विपक्षीय समझौते के सम्बन्ध में कामगार यूनियनों तथा आईबीए के मध्य वार्तालाप का एक और दौर आईबीए कार्यालय में 14.11.2017 को सम्पन्न हुआ। इस विषय में एआईबीईए ने अपना परिपत्र संख्या 28/35/2017/35 दिनांक 15.11.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

14.11.2017 को आईबीए के साथ विचार विमर्श

आईबीए तथा हमारी कामगार यूनियनों के मध्य विचार–विमर्श का एक और दौर कल अर्थात् 14.11.2017 को मुम्बई में आईबीए कार्यालय में हुआ।

आईबीए की उप–समिति का प्रतिनिधित्व श्री राकेश शर्मा (प्रबन्ध निदेशक, केनरा बैंक तथा उप–समिति के चेयरमैन), श्री वी.जी. कन्नन (मुख्य कार्यकारी, आईबीए), श्री बी. राज कुमार (उप मुख्य कार्यकारी, आईबीए), श्री एम.के गुप्ता (महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया), श्री पुनीत जैन (महाप्रबंधक, पीएनबी), श्री टी.एस. शेषाद्री (महाप्रबंधक, इण्डियन बैंक), श्री एस.के. कक्कड़ (वरिष्ठ सलाहकार, मानव संसाधन एवं औद्योगिक सम्बन्ध, आईबीए) तथा श्री के.एस. चौहान (सलाहकार, आईबीए) द्वारा किया गया था।

हमारी टीम का प्रतिनिधित्व साथी सी.एच. वेंकटचलम् तथा साथी बी.एस. रामबाबू (एआईबीईए), साथी एस.के. बन्दलीश तथा साथी विनील सक्सेना (एनसीबीई), साथी प्रदीप बिश्वास (बैफी), साथी सुभाष सावंत (इन्बैफ) तथा साथी उपेन्द्र कुमार (एनओबीडब्लू) द्वारा किया गया।

बैठक के दौरान, अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रक्रिया से सम्बन्धित मांगों पर उप–समूह में 3.11.2017 को हुई बैठक में चर्चा किये निम्नलिखित मुद्दों को सूचित किया गया और आगे का विचार विमर्श हुआ।

i. विभागीय कार्रवाई में कर्मचारी के बचाव के लिए यात्रा खर्चों का दावा करने के लिए, 'राज्य के अंतर्गत' के मौजूदा प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए।

ii. निर्वाह भत्ते में सुधार होना चाहिए।

iii. उचित दिशानिर्देशों/परिभाषा के माध्यम से वाक्यांश 5(j) के भेदभावपूर्ण उपयोग को रोका जाना चाहिए।

जारी पृष्ठ 2

iv. वाक्यांश 6(e) के प्रावधान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अर्थात् वेतनमान में दो चरणों द्वारा नीचे लाना तथा कर्मचारियों के लिए इसकी प्रयोज्यता जो पहले ही वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच गये हैं।

v. स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि द्विपक्षीय समझौता दिनांक 10.04.2002 के वाक्यांश 7 के तहत स्पष्ट रूप से वर्णित मामूली कदाचारों को वाक्यांश 5 के तहत प्रमुख कदाचारों के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए।

vi. एक घटना के लिए कई आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए।

vii. अनुशासनिक अधिकारी द्वारा सजा के आदेश को लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का अंतिम निपटान न हो।

viii. सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन विनियमम के तहत आरोप पत्र जारी करना बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह द्विपक्षीय समझौते में उपलब्ध नहीं है।

ix. वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड देना अधिशेष लाभों को प्रभावित किए बिना होना चाहिए, जैसा कि अधिकारियों के मामले में है।

x. निलंबन के विरूद्ध अपील के लिए प्रावधान।

xi. बर्खास्तगी की सजा के मामले में, अपीलीय अधिकारी के बाद समीक्षा अधिकारी के लिए प्रावधान।

xii. सजा के रूप में जुर्माने को हटाना।

यह निर्णय लिया गया कि इन मुद्दों पर चर्चा के निष्कर्षों को अगली बैठक में अन्तिम रूप दिया जायेगा।

इसके बाद, निम्नलिखित मुद्दे विचार–विमर्श के लिए उठाए गये :

- समयोपरि वेतन की गणना के लिए सरलीकृत सूत्र। यूनियनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जाएगी।

- अवकाश बैंक आरंभ करने के मुद्दे पर जिसमें कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अवकाश अंशदान एक सामान्य पूल में किया जाए और योजना का उपयोग उन कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने के मामले में जो कि गंभीर रोगों और लम्बी बीमारी से पीड़ित हैं और उनके पास कोई अवकाश बाकी नहीं हैं, यूनियनों ने उनके दृष्टिाकोण को स्पष्ट करने वाला नोट प्रस्तुत किया और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श किया जाए।

- हमारी माँगों जैसे महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश, सैबेटीकल अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि पर, यह सहमति हुई कि यूनियनें आगे चर्चा के लिए एक नोट प्रस्तुत करेंगी।

हमने इंगित किया कि हमारे माँग पत्र पर मई, 2017 में विचार–विमर्श प्रारंभ होने के बाद से काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आईबीए वेतन वृद्धि पर अपने प्रस्ताव के साथ आगे नहीं आई है और इसलिए मांग की गई कि पूर्ण नेगोशिएटिंग कमेटी की अगली बैठक इस उद्देश्य के लिए शीघ्र ही तय की जानी चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री